न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-41RAAJodhpur2026-15RTA225 Derajram ors Vs Udaram etc

01. देराजराम पुत्र श्री मुकनाराम
02. भोमाराम पुत्र श्री जवाराराम
03. चुनाराम पुत्र श्री हरखाराम
04. श्रीमति गैरोदेवी धर्मपत्नि श्री खेराजराम
05. भैराराम पुत्र श्री खेराजराम
06. हेमाराम पुत्र श्री जवाराराम
07. श्रीमति हरखु देवी धर्मपत्नि श्री जवाराराम
08. देवीलाल पुत्र श्री गोमाराम
09. श्रीमति नेनु देवी धर्मपत्नि श्री गोमाराम

कौम जाट निवासी खरथोणियों का तला (कानोड़) तहसील–गिड़ा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. उदाराम पुत्र श्री रूपाराम
2. मगाराम पुत्र श्री कुम्भाराम
3. रूगाराम पुत्र श्री कुम्भाराम
4. मूलाराम पुत्र श्री मुकनाराम

   कौम जाट निवासी– खरथोणियों का तला (कानोड़) तहसील–गिड़ा जिला बालोतरा।
5. श्री शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह तहसील–गिड़ा जिला बालोतरा
6. श्री तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2025 अनवान उदाराम व अन्य बनाम देराजराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पीराणे खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2025 अनवान उदाराम व अन्य बनाम देराजराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा खरथोणियों का तला, पटवार मण्डल कानोड़ तहसील–गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 855/665, 857/665 658, 664, 858/659, 860/659 में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 647 रकबा 18.1461 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को आवेदन स्वीकार कर लिया गया। अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 60/2025 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 30 जून 2025 को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स की जोत के बीच में से रास्ता प्रदान कर जोत को दो असमान भागों में विभक्त कर दिया गया है जो धारा 251–क की मंशा के विपरीत है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. संख्या एक से तीन के आवागमन के लिए मौके पर नजरी नक्शा में दर्शित परिशिष्ट–'ब' के अनुसार मार्क ए बी सी डी उपलब्ध है जो बिंदु बी व सी के मध्य स्थित आबादी भूमि को भी जोड़ता है। इसके अलावा नजरी नक्शा परिशिष्ट–'ब' में वर्णित मार्क ई आई एफ जी भी मौके उपलब्ध है। प्रार्थी/रेस्पो. मगाराम के पुत्र श्री देराजराम जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं, के प्रभाव व दबाव में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की खातेदारी की भूमि के बीच में से रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलांट्स नियमानुसार अपने खेत की माठ के सहारे–सहारे रास्ता देने हेतु तैयार है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के उक्त कथनों पर गौर ही नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाती है तो अपीलांट्स की भूमि दो असमान भागों में विभक्त हो जायेगी तथा अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते विप्रार्थी संख्या 8 फौत हो गई थी, जिसके कायम मुकाम को भी रेकर्ड पर नहीं लिया गया है। अपीलान्टगण ग्रामीण व गरीब व्यक्ति है। अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो. जबरन उसके हक–हकुकों को प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर नष्ट करने को आमादा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2025 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खारिज फरमाया जावे एवं पूर्व में आदेश दिनांक 21.05.2025 की पालना में राजस्व रेकर्ड हुए अमल दरामद को निरस्त फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक से तीन की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए अपीलांट्स की उपस्थित में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट्स का अपील स्तर पर कथन है कि वे अपने खेत की माठ के सहारे रास्ते देने हेतु सहमत है। इस संबंध में निवेदन है कि अपीलांट्स के खेत की माठ के सहारे–सहारे मकानात एवं टांके बने हुए है, जिससे वहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.09.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक से तीन के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 855/665, 857/665 658, 664, 858/659, 860/659 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 647 में से होते हुए रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है। उक्त तीनों विकल्पों में से अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है, जिसकी दूरी 292 मीटर बतायी गई है। उक्त रास्ता मौके मौके पर कदीमी रूप से पिछले 50 वर्षो से चलायमान होना बताया गया है तथा वर्तमान बरसात के मौसम में पगडण्डी के रूप में चलायमान है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट का उज्र है कि वे अपने खेत की माठ के सहारे–सहारे रास्ता देने हेतु सहमत है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट साबित है कि अपीलाधीन रास्ता मौके पर चलायमान है तथा कम दूरी का है। अदालत हाजा की राय में लंबी दूरी का रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर, उस पर उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2025 अनवान उदाराम व अन्य बनाम देराजराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 दिसंवर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर